**फाइल नं0-71-1099(099)/1/2021**

**130/2023/I/392107/2023**

**प्रेषक,**

**एस0 पी0 सिंह,**
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 21 सितम्बर, 2023

**विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज में आक्सीजन जनरेटर प्लांट तथा मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम हेतु आवश्यक विद्युत कनेक्शन तथा जनरेटर इत्यादि के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2023-24/433, दिनांक 05.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज में आक्सीजन जनरेटर प्लाण्ट के संचालन हेतु 320 के0वी0ए0 के 01 नग विद्युत जनरेटर के लम्बित भुगतान हेतु रू0 21.65 लाख की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-I/80351/2021-71-1099(099)/1/2021, दिनांक 16.07.2021 द्वारा कोविड-19 महामारी से संक्रमित मरीजों के उपचार तथा इसकी सम्भावित तीसरी लहर के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज हेतु उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार आक्सीजन जनरेटर प्लान्ट व मेडिकल गैस पाइप लाईन हेतु आवश्यक विद्युत कनेक्शन एवं जनरेटर सेट इत्यादि के क्रय हेतु रू0 156.74 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 05.09. 2023के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष -202324 में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज हेतु उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16.07.2021 के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित विवरणानुसार आक्सीजन जनरेटर प्लान्ट के संचालन हेतु 320 के0वी0ए0 के 01 नग विद्युत जनरेटर के लम्बित भुगतान हेतु रू0 21.65 लाख (रू0 इक्कीस लाख पैसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-:

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/ दस- 2023-231/2023 , दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगाए जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 21,65,000 ( रुपये इक्कीस लाख पैंसठ हजार मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031057200 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मानक मद 26 मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र/ के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**

**(एस0 पी0 सिंह),**
उप सचिव।

**संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कन्नौज।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(एस0 पी0 सिंह),**
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in